न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : महेश चन्द्र चौधरी

सदस्य

निगरानी 4529/2018/सतना/भू.रा. विरुद्ध आदेश दिनांक 05/07/2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 1289/2016-17/अपील

---

1. अनुराधा चचरा पुत्री स्व. अरूण कुमार चौपडा पत्नी दिनेश चचरा ,
   निवासी दुआ ऑटोमोबाइल्स, मेन रोड बिस्तुपुर जमशेदपुर (बिहार) ,
2. पूजा सैंथ पुत्री स्व. अरूण कुमार चौपडा पत्नी समीर सैंथ
   निवासी- सी-408 सुषांत लोक 1 गुडगांव हरियाणा
3. पवन कुमार चौपडा पुत्र स्व. त्रिलोक चंद चौपडा
   निवासी- ई-25 सेलमपौर रोड धकुरिया के सामने कोलकत्ता ....आवेदिकागण

<u>विरुद्ध</u>

1. मधु मल्होत्रा पत्नी नरेश मल्होत्रा
   निवासी- ई-49 ग्रेटर कैलाश पार्ट-1 नई दिल्ली 48
2. नीता जसुजा पत्नी श्री रघुवीर सिंह जसूजा
   निवासी- सी/429 सरिता बिहार नई दिल्ली- 76, ...अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी
अनोवदक की ओर से अधिवक्ता श्री डी. एस. चौहान

आदेश

(आज दिनांक...30.7.1.2019........को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 1289/2016-17/अपील में पारित आदेश दिनांक 05/07/2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदिकागण द्वारा तहसीलदार तहसील मैहर के न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 139/अ6/2011-12 में पंजीबद्ध किया एवं वहीं आवेदिका किरण चौपड़ा द्वारा वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण क्रमांक 227/अ6/2011-12 में पंजीबद्ध किया गया । उक्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार द्वारा वारिसाना के आधार पर प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया तथा किरण चौपडा द्वारा प्रस्तुत वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया गया । जिसके विरूद्ध अनावेदिकागण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय तहसीलदार तहसील मैंहर द्वारा दोनों आवेदन पत्रों को संग्रहित कर आदेश दिनांक 29/07/15 इस आधार पर पारित किया है कि विवादित आराजी नं. 1513 रकबा 0.052है0 की एक मात्र मालिक स्व. श्रीमती उषा चौपडा अपने जीवन पर्यन्ततक रही है जिस कारण उन्हें उक्त आराजी का बसीयत नामा निष्पादन करने का पूर्ण अधिकार था तथा किरण चौपडा जो स्व. श्रीमती उषा चौपडज़ की पुत्र वधु है उसके द्वारा बसीयतनामा निष्पादन विधि अनुसार किया गया है ऐसी स्थिति में बसीयत नामा के रहते हुये वारिसाना के आधार पर नामांतरण आवेदन स्वीकार किये जाने का प्रश्न ही नहीं है उपरोक्त स्थिति में जो आदेश विचारण न्यायालय द्वारा पातिर किया गया है उसे अपास्त करने मं द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा त्रुटि की गयी है इसलिये आदेश अपास्त किये जाने योगय है। उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि विवादित सम्पति सहदायिकी की सम्पत्ति नहीं है, ऐसी स्थिति में वारिसान आधार पर नामांतरण किये जाने का प्रश्न ही नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के पारित हो जाने के पश्चात उसकी धारा 30 के अनुसार उक्त संबंध में कोई भी सहदायिक, सहदायिकी सम्पति में अपने हित को इच्छा पत्र के द्वारा या सबीयत व्ययन के द्वारा अपनी सम्पति को व्ययनित कर सकता है इस संबंध में 1995 जे.एल.जे. 477 का न्यायदृष्टांत अवलोकनीय है ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह अपास्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि बसीयत ग्रहिता किरण चौपडा ने अपने

कथन में बताया है कि मेरी सास श्रीमती उषा चौपडा ने अपने जीवनकाल में अपने स्वस्थचित अवस्था में अपने स्वतंत्र मर्जी से बिना किसी दबाव, प्रलोभन या असम्यक असर के समक्ष गवाहान दिनांक 20.04.2010 को उसके समक्ष में बसीयतनामा निष्पादित करवा दिया था। इस प्रकार किरण चौपडा श्रीमती उषा चौपडा द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी स्वस्थचित अवस्था में बसीयतानामा निष्पादित करवाने का कथन किया है। अपुप्रमाणक साक्षी समोद घई ने अपने कथन में किरण चौपडा के कथन का समर्थन किया है। अनावेदक पक्ष की ओर से किरण चौपडा व अनुप्रमाणक साक्षी समोद घई के उक्त कथन को विनिर्दिष्ट चुनौती नहीं दी गयी जिसकारण विविध अनुसार कथन प्रमाणित माना जावेगा। किरण चौपडा ने आदेश 18 नियम 4 जां. दि. के तहत प्रस्तुत अपने शपथ पत्र साक्ष्य कण्डिका 4 में यह उललेख किया है। कि उसकी सास श्रीमती उषा चौपडा ने उक्त बीयतनामें के पुन: पढ़ व समझकर समोद व रीतेश चौपडा तथा सभी के सामने अपने हस्ताक्षर करने के बाद उनकी सास श्रीमती उषा चौपडा ने सामने दोनों गवाहों ने अपने हस्ताक्षर किये थे। सहमति दाता के रूप में उसके पति अरूण व देवर पवन चौपडा ने भी बसीयत पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी समोद घई ने अपने शपथ पत्र के कण्डिका क्रमांक 5 में किरण चौपडा के कथनों का समर्थन किया है एवं समोद घई ने अपने शपथ पत्र केक कण्डिका क्रमांक 5 में बताया है कि श्रीमती उषा चौपडा के बताने पर बसीयतनामा को लिखकर राजभान पटेल ने सभी को उक्त बसीयतनामा पढकर सुनाया था तथा अपने हस्ताक्षर भी किया था श्रीमती उषा चौपडा ने उक्त बसीयतनामा को पुन: पढ व समझकर उसके व रीतेश चौपडा एवं सभी के सामने अपने हस्ताक्षर किये थे। हस्ताक्षर करने के बाद श्रीमती उषा चौपडा ने सामने उसके व रीतेश चापैडा ने हस्ताक्षर किया था। उक्त बसीयतनामा के समय चूकि अरूण व पवन चौपडा भी उपस्थित थे। उन्होंने किरण के नाम में कोई आपति नहीं की थी जिस कारण सहमत दाता के रूप में हस्ताक्षर किये थे इस प्रकार उक्त बसीयतनामा को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 (ग) के प्रावधानों के मुताबिक बसीयतनामा को साबित किया गया था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 68 के अनुसार बसीयत को साबित करने के लिये एक साक्षी की आवश्यकता होती है। धारा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार बसीयत में हस्ताक्षर करने वाले सभी लोगों का कथन अंकित करवाया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में बसीयतनामा पूर्ण रूप से साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है ऐसी स्थिति में उपरोक्त स्थिति को नजरअंदाज कर जो आदेश द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह अपास्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया है कि बसीयत ग्रहिता द्वारा फर्जी बसीयत तैयार की है, इसके संबंध में क्योर सेंटर नर्सिंग होम का उषा चौपडा के इलाज व नर्सिंग होम का उषा चौपडा के इलाज व नर्सिंग होम में एडमिट होने का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। एडमिशन डेट 15.03.2010 उल्लेख है इनका इलाज दिनांक 23.03.2010 तक कि चिकित्सा पर्ची है इसे स्पष्ट

है कि उषा चौपडा 82 वर्ष की थी और उनका इलाज 23.03.2010 तक किया गया और दिनांक 20.04.2010 को बसीयत की है इससे स्पष्ट है कि बसीयतकर्ता स्वस्थ चित मन की नहीं थी। इच्छा पत्र के निष्पादन में कोई संदिग्ध परिस्थिति नहीं है, यह सिद्ध करने का भार उस इच्छा पत्र से लाभ उठाने वाले का होगा। इस आधार पर उषा चौपडा बसीयत में जो शब्द उल्लेख किये है कि किरण चौपडा के द्वारा सेवा करने पर बसीयत कर रही हूं जब उषा चौपडा मैंहर में निवास करती थी और कोलकत्त में अपने पुत्र के साथ निवास करती थी। तो किरण चौपडा ने किस तरह उसकी सेवा करती थी यह प्रमाणित नहीं है वास्तविकता यह है कि श्रीमती उषा चौपडा ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वस्थचित अवस्था में स्वतंत्र मर्जी से बिना किसी दबाव प्रलोबन या असम्यक असर के गवाहान समक्ष बसीयतनामा दिनांक 20.04.2010 को सम्पादित करवा दिया था। इस बात का समर्थन स्वतंत्र साक्षी समोद घई ने अपने कथन में किया है , व एक अन्य साक्षी रीतेश चौपडा ने अपने कथन में बसीयतनामा को स्वीकार किया है, सहमति दाता के रूप में पति अरूण व देवर पवन चौपडा ने भी बसीयतकर्ता सहित सभी के समक्ष अपने हस्ताक्षर किये थे। उपरोक्त बसीयतनामा को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 (ग) के प्रावधानों के मुताबिक साबित किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय का आदेश साक्ष्य एवं अभिलेख पर आधारित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4. आवेदक क्र0 3 की ओर से निम्नलिखित लिखित तर्क प्रस्तुत किये गए :-

I. आवेदक क्र0 3 की ओर से यह तर्क किया गया है कि प्रकरण में वर्णित विवादित संपत्ति मेरी मां स्वर्गीय श्रीमती ऊषा चौपडा की है जो शासकीय अभिलिखित भूमि स्वामी दर्ज रही है। स्वर्गीय श्रीमती ऊषा चौपडा की मृत्यू के वाद किरण चापैडा द्वारा एक तथाकथित फर्जी बसीयतनामा बनाकर उक्त बसीयतनामा के आधार पर नामांतरण हेतु तहसीलदार न्यायालय में आवेदन पेश किया गया जिसे श्रीमान तहसीलदार महोदय ने स्वीकार कर आवेदक क्रमांक 1 व 2 के पक्ष में नामांतरण आदेश दिनांक 29/7/15 पारित किया जिसके खिलाफ श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष अपील पेश की गई जो आदेश दिनांक 10.07.2017 के द्वारा खारिज की गई। जिसके खिलाफ श्रीमान अपर आयुक्त महोदय के समक्ष अपील पेश हुई जो आदेश दिनांक 5/7/18 के द्वारा स्वीकार की गई। जिसके खिलाफ आवेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष मेरी बिना सहमति व हस्ताक्षर के मुक्ष पक्षकार को आवेदक क्रमांक 3 बनाया जाकर निगरानी पेश की गई है। जो इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है।

II. उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि मुक्ष आवेदक क्र0 3 द्वारा अपर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 5.7.18 के खिलाफ माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी

प्रस्तुत नहीं गई है। और न ही आवेदक क्रं0 1 व 2 को मेरे द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने हेतु सहमति व्यक्त की गई है एवं न ही उनकी ओर से नियुक्त अधिवक्ता को नियुक्त किया गया है मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से माननीय न्ययालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने हेतु (श्री के.के. द्विवेदी एवं श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी) अधिवक्ता को नियुक्त नहीं किया गया है। माननीय न्यायालय को गुमराह कर जो निगरानी आवेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत की गई है वह गलत तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है जो इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है।

III. उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि इस मामले में बसीयत के सभी अनुप्रमाणक साक्षी जीवित है उनमें से मात्र समोद धई के कथन किरण चौपडा की ओर से करवाये गये है, जिसमें मुख्य कथन एवं प्रतिपरीक्षण में जबर्दस्त विरोधाभास होने से उसके अन्य अनुप्रमाणक साक्षियों को प्रस्तुत किया जाना ति आवश्यक था। परन्तु किरण चौपडा यह जानती थी कि यदि गवाह समोद धई के अलावा अन्य गवाह न्यायालय में पेश किया गया तो वह उसके कथित फर्जी बसीयत की पुष्टि नहीं करेंगे। इसके बावजूद किरण चौपडा और विचारण न्यायालय के पास ऐसा क्या कारण था कि उसके द्वारा बसीयत के अन्य अनुप्रमाणक साक्षी रितेश चौपडा पवन चौपडा राजभान पटेल (बसीयत का लेखक) को बसीयत के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त बसीयत पूर्णत: फर्जी व संदेहास्पद सिद्ध होने के बावजूद भी विचारण न्यायलय द्वारा मात्र एक साक्षी समोद धई की विरोधाभासी साक्ष्य को ही पर्याप्त साक्ष्य मानने की जबर्दस्त भूल कर बैठी, तदनुसार उपरोक्त निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

IV. उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि तहसीलदार एवं अनुविभागीय न इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कोई भी गौर नहीं किया कि पवन चौपडा जो इस मामले में पक्षकार भी है, जिसके हसताक्षर होना कथित बसीयतनामा में बने होना कहा जा रहा है, क्या कारण है कि उसके द्वारा जवाब में कथित बसीयतनामा को कूटरचित एवं फर्जी कहते हुए अपनी मां स्वर्गीय श्रीमती उषा चौपडा एवं स्वयं के हस्ताक्षर बसीयत दिनांक 20.04.2018 को किये जाने से साफ इंकार किया गया है। सभी बातों पर गौर किये जाने पर एक ही बात निर्विवादित रूप से सिद्ध व प्रगट होती है कि उक्त कागज लो लेटर पैड था, जिस पर पूर्व से स्वर्गीय श्रीमती ऊषा चौपडा व पवन चौपडा जिनके हस्ताक्षर व्यापारिक सिलसिले में करीब 25 व 30 साल पूर्व लिये गये थे उसी लेटर पैड के कागज का उपरी हिस्सा फाडकर नीचे के हिस्से में सीमित शब्दों में बसीयत की कूट रचना स्वर्गीय श्रीमती ऊषा चौपडा की मृत्यू के वाद की गई है। जिसमें वाकी के हसताक्षर लगभग 6-7 साल पुराने है। उक्त

बसीयत पर बसीयत के लेखक, साक्षी गवाह अन्य किसी् के भी हस्ताक्षर के अलावा न ही उनके नाम पता अयु पहचान पत्र का नम्बर अंकित किया गया है और न ही बसीयत के गवाह समोद धई के अलावा अन्य अनुप्रमाणक साक्षी रितेश चौपडा, पवन चौपडा, राजभान पटेल बसीयत के लेखक को बसीयत के समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार यदि उक्त फर्जी बसीयत की फोरेंसिक जांच कराई जाती है तो उक्त सभी तथ्यों का खुलासा होकर उक्त बसीयत का कागज अपने आप फर्जी सिद्ध हो जावेगा। इस कारण प्रस्तुत निगरानी इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित लिखित तर्क प्रस्तुत किये गए :-

I. उनके द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि श्रीमती ऊषा चौपडा प्रकरण में वर्णित विवादित सम्पत्ति की रिकार्डेड भूमिस्वामी दर्ज रही है। अनावेदकगण द्वारा श्रीमती ऊषा चौपडा के फौत हा जाने के पश्चात वारिसान के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा किरण चोपडा के द्वारा भी बसीयतनामा के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 4/7/12 को प्रस्तुत किया गया, जिसे तहसीलदार महोद तहसील मैहर के द्वारा दोनों प्रकरण का एक साथ दिनांक 23/12/13 को एक साथ दोनों प्रकरण का विचारण किया। श्रीमती ऊषा चौपडा के द्वारा दिनांक 20/4/10 को बसीयतनामा का निष्पादन कराया है, उक्त बसीयतनामें में यह उल्लेख है कि वह मेरे बडे पुत्र अरूण की पत्नी किरण की पूर्व से लेकर वर्तमान तक की गई सेवा का उसके स्नेह से प्रसन्न होकर में अपनी उपरोक्त आराजी व मकान की बसीयत उसे करती हूं। प्रकरण में आई साक्ष्य (संलग्न) में किरण चौपडा बसीयत ग्रहीता ने अपने प्रति परीक्षण के पैरा न0 2 में साक्ष्य दिया है कि यह सही है कि मेरी सार श्रीमती ऊषा चौपडा की मृत्यू कोलकाता में हुई है, यह सही है कि कोलकाता में मेरी सास श्रीमती ऊषा चौपडा मेरे देवर पवन चौपडा के साथ रहती थी, तथा बसीयत के साक्षी समोध घई ने भी अपने साक्ष्य के पैरा न0 10 में स्वीकार किया है। वसीयतग्रहीता व वसीयत के साक्षी ने यह प्रमाणित किया है कि श्रीमती ऊषा चौपडा अपने पुत्र पवन चौपडा के साथ कोलकाता में ही रहती थी न कि किरण चौपडा के साथ जिससे प्रथम दृष्टंया ही सिद्ध होता है कि बसीयतग्रहीता द्वारा प्रस्तुत बसीयत फर्जी है। जिसके आधार पर तहसीलदार महोदय द्वारा किया गया नामांतरण का आदेश अवैधानिक है। इस कारण निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

II. उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि श्रीमती ऊषा की सम्पत्ति को हडपने के उद्देश्य से बसीयतग्रहीता द्वारा कूटरचित व फर्जी बसीयत तैयार की गई है जो कि इस बात से स्पष्ट सिद्ध होता है कि श्रीमती ऊषा चौपडा गंभीर बीमारियों से ग्रसित थी साथ ही वह स्वस्थचित मन की नहीं थी इसके संबंध में क्योर सेंटर नर्सिंग होम का श्रीमती ऊषा चौपडा के इलाज व नर्सिंग होम में एडमिट होने का दस्तावेज प्रस्तुत है। बसीयतकर्ता स्वस्थ चित मन की नहीं थी ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रसित किसी भी व्यक्ति का कोलकाता से मैहर जाकर बसीयत निष्पादन कराया जाना संभव नहीं है। जिससे सिद्ध होता है कि बसीयत पूर्णरूपेण फर्जी है। अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना चाहिये था कि बसीयतनामा के समर्थन में प्रस्तुत की गई साक्ष्य स्वतंत्र संतोषजनक प्रथा तथा बसीयत लिखने वाले की बसीयत करने की मानसिक स्थिति को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है और विधि की अपेक्षा के अनुसार उसने हस्ताक्षर किए थे। बसीयत के निष्पादन में कोई संदिगध परिस्थिति नहीं है यह सिद्ध करने का भार बसीयग्रहीता पर होगा इस आधार पर श्रीमती उषा चौपडा मैहर में निवास ही नहीं करती थी। किरण चौपडा द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की गई बसीयतनामा कूटरचित व फर्जी है। इस कारण निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

III. उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि इन सभी बातों पर गौर किये जाने पर एक ही बात निर्विवादित रूप से सिद्ध व प्रगट होती है कि पवन चौपडा कोलकाता में रहकर सम्मिलित रूप से चलने वाली कंपनी जिससे अरूण चौपडा, पवन चौपडा और स्वर्गीय श्रीमती ऊषा चौपडा पार्टनर थे। श्री पवन चौपडा कोलकाता का कार्य देखता था और अरूण चौपडा मैहर का कार्य देखता था। जबकि श्रीमती ऊषा चौपडा व पवन चौपडा कोलकाता में ही रहते थे, मैहर में कोई कार्य न रूके इसलिए श्रीमती ऊषा चौपडा और पवन चौपडा ने लगभग 25-30 वर्ष पहले कुछ खाली लेटर पैड पर हस्ताक्षर करके श्री अरूण चौपडा को दे दिये थे। इस खाली लेटरपैड की कूटरचना की जाकर लेटरपैड के उपरी प्रिन्टेड भाग को फाडकर शेष कागज के टुकडें में स्वर्गीय श्रीमती ऊषा चौपडा की मृत्यू दिनांक 9/7/2010 के बाद श्रीमती ऊषा चौपडा की उक्त निर्वसीयत संपत्ति को हडपने के उद्देश्य से न्यायालय को गुमराह किये जाने की कोशिश की गई है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त बसीयत कूटरचित व फर्जी है। इस कारण निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

IV. उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि आवेदक क्रमांक 3 (पवन चौपडा) कथित बसीयत के अनुप्रमाणक साक्षी है, जिन के गवाह तहसील न्यायालय में नहीं लिये गये जब कि उक्त गवाह कथित बसीयत का एक महत्वपूर्ण साक्षी था बसीयतग्रीता

के पति अरूण चौपडा का सगा भाई है इस प्रकार उक्त साक्षी के गवाह बसीयत की सत्यता के संबंध में अत्यंत आवश्यक थे, परंतु तहसीलदार महोदय ने आवेदक क्रमांक-3 पवन चौपडा को गवाह पेश करने का कोई भी अवसर नहीं दिया एवं मनमाने तरीके से विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश की अपील करने स्वर्गीय अरूण चौपडा के भाई जो कि फर्जी बसीयतनामा का गवाह होकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में आवेदक क्रमांक-3 है उसके द्वारा अपना स्वयं का शपथ-पत्र बसीयतनामा फर्जी होने के संबंध में अनुविभागीय अधिकरी के न्यायालय में प्रस्तुत कर बसीयतनामा का विरोध किया गया था। इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी ने अवैधानिक आदेश पारित किये जाते समय पवन चौपडा के शपथ-पत्र का जिक्र तक करने की जरूरत नहीं समझी। पवन चौपडा ने अपने शपथ-पत्र प्रस्तुत कर यह स्पष्ट किया गया है कि कथितब सीयतनामा पूर्णत: कूटरचित व फर्जी है। इस प्रकारण समस्त परिस्थितियों को देखते हुए किरण चौपडा द्वारा प्रस्तुत कागज के छोटे से टुकडें में रचित फर्जी व कूटरचित बसीयतनामा अवैध व शून्य होने से विश्वसनीय नहीं है एवं ऐसे कागज के छोटे से टुकडे पर लिखी गई बसीयत के आधार पर किरण चौपडा स्वर्गीय श्रीमती ऊषा चौपडा की संपति को अपने नाम पर करा पाने की वैध कानूनी अधिकारिणी नहीं है। उक्त तथ्यों पर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार न कोई गौर न करते हुए मनमाने तरीके से अवैधानिक आदेश पारित किये है जिसे अपर आयुक्त द्वारा निरस्त कर विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। इस कारण निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

6. प्रकरण में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन कर गहन परिशीलन किया गया । उभय पक्ष अधिवक्ताओं द्वारा मुख्यत: वही तर्क प्रस्तुत किये गये है जो अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे तथा निगरानी मेमों में अंकित है जिनकी विवेचना अधीनस्थ अपर आयुक्त द्वारा की गई है ।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया है कि अपर आयुक्त द्वारा अपने प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 05-07-2017 के पैरा 4 से 5 में विस्तृत विवेचना की गई है । इस कारण विस्तृत विवेचना इस आदेश में पुनारांकित नहीं की जा रही है, अपर

आयुक्त के आक्षेपित आदेश दिनांक 05-07-2017 के पैरा 4 व 5 में की गई विवेचना इस आदेश का अंग मानी जावेगी । अपर आयुक्त के आदेश में की गई विवेचना के साथ ही विवादित सम्पति के संबंध में यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि वादग्रस्त भूमि सहदायिकी संपति थी । वह वसीयतकर्ता की स्वअर्जित संपति नहीं थी, इस कारण वसियत का अधिकार नहीं था । इस संबंध में भी वसीयतग्रहीता यह सिद्ध करने में असफल रहे कि वादग्रस्त भूमि स्वअर्जित थी । अत: वादग्रस्त भूमि सहदायिकी संपति थी तथा वसीयत भी विधिक रूप से प्रमाणित नहीं ।

अत: प्रकरण में आए तथ्यों व अभिलेखीय आधार पर उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 05-07-2017 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । परिणाम स्वरूप अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05-07-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी अस्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस किया जावे ।

(महेश चन्द्र चौधरी)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर